		(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits in column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion): 1. Additional Registrar General, India or Deputy Secretary (Administration) - Chairman 2. Under Secretary (Administration) or Deputy Director, Office of the Registrar General, India – Member 3. Assistant Director Census Operations, Office of the Registrar General, India - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-51011/2/2020 -Ad-V]

S. N. SHARMA, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 116.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक और ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2018 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक और ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक और ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2018 में–

(क) नियम 1 के उप नियम (1) में 'कनिष्ठ अनुवादक और ज्येष्ठ अनुवादक' शब्दों के स्थान पर 'कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी' शब्द रखे जाएंगे।

(ख) अनुसूची में, -

(i) स्तंभ (1) में 'कनिष्ठ अनुवादक' और 'ज्येष्ठ अनुवादक' प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: '1. कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी' और '2. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी' प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी;

(ii) स्तंभ (11) में, प्रोन्नति शीर्षक के अधीन, 'लागू नहीं होता' शब्दों के स्थान पर -

"प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में ऐसे कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में 2 सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।"

शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए-11018/19/2022-एमएच-II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 77 तारीख 26 फरवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 31st August, 2022

G.S.R. 116.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Junior Translator and Senior Translator in Safdarjung Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2018, namely:—

1. (1) These rules may be called the Junior Translator and Senior Translator in Safdarjung Hospital, New Delhi, Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Junior Translator and Senior Translator in Safdarjung Hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2018,-

(a) in rule 1, in sub-rule (1), for the words "Junior Translator and Senior Translator", the words "Junior Translation Officer and Senior Translation Officer" shall be substituted;

(b) in the Schedule,-

(i) in column (1), for the entries "Junior Translator" and "Senior Translator", the entries "1. Junior Translation Officer" and "2. Senior Translation Officer" shall respectively be substituted;

(ii) in column (11), under the heading Promotion, for the words "Junior Translator", the words "Junior Translation Officer" shall be substituted.

[F. No. A-11018/19/2022-MH-2]

GANESH KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 77, dated the 26th February, 2019.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 117.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2018, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में शीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन स्तंभ 11 में उच्च श्रेणी लिपिक के पद के स्थान पर, विद्यमान "टिप्पण" को "टिप्पण 2" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;", और इस प्रकार संख्यांकित, "टिप्पण 2:" से पूर्व, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात:—

"टिप्पण 1:- उपरोक्त खण्ड (ii) के अधीन अवर श्रेणी लिपिक से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) (संशोधन) भर्ती नियम, 2022 के प्रवृत्त होने की तारीख पर नियमित आधार पर फीडर पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए तीन वर्ष तक बना रहेगा।"

[फा. सं. एस एम/02/02/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation ((including short term contract) shall be Not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[No. A. 11018/09/2008-RR]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

सा.का.नि.77.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (हिंदी अनुवादक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक एवं ज्येष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (क) इन नियमों का नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक और ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2018 है |

(ख) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. लागू होना.— ये नियम इस नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम 1 में विनिनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वे होंगे जो इस नियम से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, इत्यादि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

6. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

7. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है|

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक	3* (2018)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35400–112400) में लेवल-6	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं **(टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष

	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				तक शिथिल की जा सकती है) (**टिप्पण 2** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएंप्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; **अथवा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; **अथवा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री जिसमे डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; **अथवा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री जिसमे डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; **अथवा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री जिसमे डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या इनमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी**: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो: - (क) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों: और (ख) कॉलम (7) में सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी।

वैल्कल्पिक विषय के रूप में रहा हो; **और** (II) हिन्दी से अंग्रेजी में और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम अथवा केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिसमें भारत सरकार के उपक्रम शामिल हैं, में हिंदी से अंग्रेजी और विलोमत: अनुवाद करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं,शिथिल की जा सकती हैं।			

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल – अध्यक्ष 2. प्रभारी उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य 3. उपनिदेशक, प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य 4. सहायक निदेशक (राजभाषा), सफदरजंग अस्पताल –सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ अनुवादक	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (44900–142400)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएंप्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल – अध्यक्ष 2. प्रभारी उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य 3. उपनिदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली- सदस्य 4. सहायक निदेशक (राजभाषा), सफदरजंग अस्पताल – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं.ए. 11018/9/2008-आरआर]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव (अस्पताल)

New Delhi, the 26th February, 2019

G.S.R.77.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi (Hindi Translator and Junior Hindi Translator) Recruitment Rules, 1985 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator and Senior Translator in Safdarjung hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.—

(a) These rules may be called the Junior Translator and Senior Translator in Safdarjung hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2018.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the post specified in Column 1 of the schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification, level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Translator	03* (2018) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted, Non Ministerial	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years (**Note 1**: Relaxable for Government servants up to 5 years' in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). (**Note 2**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	Essential: (I) Master degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; Or Masters degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; Or Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; Or Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; Or Master's Degree of a recognized University in	Not applicable	Two years	By Direct recruitment. **Note:** "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7)." (the maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

	any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject and degree level; (II) Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission / Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.			

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption grade from which promotion /deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Departmental Confirmation Committee for considering confirmation (consisting of):** 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi – Chairman 2. Deputy Director in charge of Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services —Member 3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital, New Delhi —Member 4. Assistant Director (Official Language), Safdarjung Hospital —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Translator	01* (2018) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted, Non Ministerial	Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Translator in Level 6 in the Pay Matrix with five years regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of 2 weeks in the relevant field as prescribed by the department. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	**Departmental Promotion Committee:** 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi -Chairman 2. Deputy Director in charge of Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services -Member 3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital, New Delhi -Member 4. Assistant Director (Official Language), Safdarjung Hospital -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. A.11018/9/2008-RR]
G.P. SAMANTA, Under Secy. (Hospital)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

सा.का.नि. 78.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, निजी सचिव भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** व व्यक्ति-,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या